

पुस्तकें एवं
आदि न. हस्ता.

190

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खातियर कैम्प रोवा म. प्र.

231
29.6.15

वि. नं. 2409-III-15

(लिखित उपलब्ध नहीं है)

- 1:- दिग्विजय सिंह पिता जगन्नाथ सिंह,
- 2:- महावीर पिता रामेश्वर लोहार,
- 3:- रामकिसोर पिता सुमेश्वर लोहार,
- 4:- बृहसेन तनय सुमेश्वर लोहार
- 5:- श्रीकलाल तनय रामेश्वर लोहार,
- 6:- चन्द्रमणि तनय सुमेश्वर लोहार,

श्री. नि. नि. 11/609
द्वारा आज 29.6.15
प्रस्तुत किया गया है

सभो निवासी ग्राम बेलवा पैकान तहसील मगगा
जिला रोवा म. प्र. ----- पुनरोक्षणकर्ता - गण
नाम.

1- रामकुमार सिंह तनय लखन सिंह निवासी बेलवा पैकान तहसील मगगा

क्रमांक..... जिला रोवा म. प्र. ----- गैर पुनरोक्षणकर्ता

रजिस्ट्रार द्वारा आज
दिनांक..... प्राप्त

कलकत्ता न्यायालय
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्यालियर

पुनरोक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार
महोदय तहसील मगगा, जिला रोवा, द्वारा प्र.क्र.
413- 70 /14-015 तथा प्र.क्र. 903-12 /13-014
में पारित आदेश दिनांक 0707 -14 के विरुद्ध

पुनरोक्षण कर्ता द्वारा 50 म. प्र. भू. रा. सं.
1959 ई.

[Signature]

मान्यवर,

पुनरोक्षण के आधार निम्नलिखित है :-

[Signature]

190

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2409-II/15

जिला-रीवा

दिग्विजय सिंह वगैरः/ राम कुमार सिंह

(1)	(2)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री चितेन्द्र पाठक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवा, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 41/अ-70/2014-15 तथा 90/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 07.07.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">↓ सदस्य</p>

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :-